झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

:: संकल्प ::

संचिका संख्या–8 / भू०अ०नि०(स्वामित्व अधिकार)–157 / 2016.820/Gen

विषय : भू–अर्जन से प्रभावित / विस्थापित परिवारों को पुनर्स्थापित वासस्थल एवं आवंटित भूमि का स्वामित्व प्रदान करने के सम्बन्ध में।

लोक प्रयोजन के लिए और कंपनियों के द्वारा अर्जित भूमि से प्रभावित / विस्थापित परिवारों को पुनर्स्थापित करने हेतु वासस्थल एवं भूमि आवंटित किये जाने का प्रावधान है। विस्थापन प्रक्रिया से बहुधा ऐसी समस्याएं सामने आती हैं जो पुनर्व्यवस्थापन के पश्चात् उनकी पारंपरिक जीविका के क्रियाकलापों को जारी रखने में प्रभावित व्यक्तियों के लिए कठिनाई उत्पन्न करती है। प्रभावित / विस्थापित परिवारों की क्रियाशील भागीदारी के साथ विरचित विकास प्रक्रिया से संबंधित मूलभूत रूप में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मुददों को मान्यता देना आवश्यक है। विस्थापित परिवारों को पुनर्स्थापित करने हेतु आवंटित वासस्थल की भूमि का स्वामित्व जिसपर, उनका अस्तित्व एवं अस्मिता निर्भर है, अधिकार नहीं रहने के कारण उन्हें कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अतएव स्वामित्व का अधिकार दिया जाना अति आवश्यक है।

2. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधो के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2015 गठित की गयी है जिसके नियम 28(6) में प्रावधानित है कि– ''प्रभावित परिवारों को पुनर्स्थापन वासस्थल में पुनर्स्थापित करने के साथ जिला प्रशासन द्वारा उन्हें आवंटित भूमि एवं आवास के स्वामित्व अधिकार संबंधी कागजात हस्तगत करा दिये जाएँगे साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा वासस्थल को राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु अविलंब कदम उठाए जाएँगे, यदि वह पूर्व में अवस्थित राजस्व ग्राम का हिस्सा नहीं हो'', परन्तु पूर्व में विभिन्न अधिनियमों के तहत अर्जित भूमि से प्रभावित / विस्थापित परिवारों को पुनर्स्थापित वासस्थल एवं आवंटित भूमि का स्वामित्व प्रदान करने संबंधी प्रावधान नहीं होने के चलते प्रभावित / विस्थापित परिवारों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

3. **अतः उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया है कि –**

''भू–अर्जन से प्रभावित / विस्थापित परिवारों को आवंटित भूमि एवं आवास के स्वामित्व संबंधी कागजात समाहर्ता द्वारा प्रदान किये जायें एवं सुसंगत अभिलेखों में दर्ज किया जाय, साथ ही पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रमाण–पत्र (संलग्न–प्रपत्र–XII में) निर्गत किया जाय। इस प्रकार से स्वामित्व प्राप्त भूमि एवं आवास का हस्तांतरण छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम एवं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के सुसंगत धाराओं से आच्छादित होगें।

आदेश – आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

18.11.016
(रमाशंकर)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–8 / भू०अ०नि० (स्वामित्व अधिकार)–157 / 2016 820 नि0रा0, दिनांक– 18-11-16

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव / विकास आयुक्त / सभी अपर मुख्य सचिव / सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव / सभी विभाग झारखण्ड / सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.11.016
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–8 / भू०अ०नि० (स्वामित्व अधिकार)–157 / 2016. 820 नि0रा0, दिनांक– 18-11-16

प्रतिलिपि :– विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई–गजट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.11.016
सरकार के उप सचिव।

C:\Users\Hema\Desktop\Nideshalay Draft\Sec-8.docx

mail sent & uploaded 19.11.16

प्रपत्र–XII

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रमाण–पत्र

भू–अर्जन वाद सं०–प्रमाण पत्र सं०.....दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ..... पिता/पति .....

.....ग्राम .....थाना.....

अंचल .....जिला.....के निवासी हैं जो .....

.....जाति के हैं। उक्त वाद में इनका .....मौजा .....

.....खाता सं० ..... प्लॉट सं०.....रकबा.....

एकड़ भूमि अधिग्रहित किया गया है। उक्त अधिग्रहण के कारण श्री/श्रीमती .....

.....उपरोक्त अंकित वर्तमान निवास स्थान से विस्थापित हुए हैं तथा इन्हें

जिलांतर्गत .....अंचल .....मौजा .....

खाता सं० .....प्लॉट सं०.....में.....(अधिनियम

का नाम) के आलोक में पुनर्वासित किया गया है।

समाहर्त्ता

परियोजना प्रमुख का हस्ताक्षर